न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/603

1. श्रीमती देवबाई पुत्र स्व0 श्री भूरिया पत्नी श्री बजरंगलाल जाति काछी निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा ।
2. श्रीमती गजानन्दी बाई पुत्री स्व0 श्री भूमिया पत्नी स्व0 श्री पन्नालाल जाति काछी निवासी नयागॉव पुलिस लाईन तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. प्रहलाद आत्मज श्री रामनाथ काछी ।
   2/2. राजेन्द्र आत्मज श्री रामनाथ काछी ।
   2/3. बसन्ती बाई पुत्री श्री रामनाथ काछी ।
   2/4. राधा बाई पुत्री श्री रामनाथ काछी ।
   2/5. गणेशी बाई पत्नी श्री रामनाथ काछी ।
   2/6. धन्नी बाई पत्नी श्री महावीर ।
   2/7. आंचल नाबालिग जरिये संरक्षक माता धन्नी बाई ।
   2/8. शिवानी नाबालिग जरिये संरक्षक माता धन्नी बाई ।
   2/9. लालाराम आत्मज श्री देवीलाल काछी ।
   2/10. सरोज पुत्री श्री देवीलाल काछी ।
   2/11. इन्द्रा पुत्री श्री देवी लाल काछी ।
   2/12 लाली बाई पुत्री श्री देवीलाल काछी ।
   2/13. भूली बाई बेवा श्री देवीलाल काछी ।
   2/14. मोहनी बाई पुत्री श्री पन्ना लाल काछी निवासीगण नयागॉव पुलिस लाईन कोटा
3. रामलाल पुत्र श्रीमती अमरी बाई पुत्री श्री भूरिया जाति काछी निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम (मृतक) आत्मज कजोडी लाल काछी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कंचन बाई विधवा स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/2. चेतन राम पु स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/3. लालचन्द पुत्र स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/4. भोजराज पुत्र स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/5. श्रीमती कमलेश उर्फ गुट्टूबाई पत्नी मृतक बृजमोहन पुत्र स्व0 श्री घनश्याम निवासीगण ग्राम सुवासन तहसील बारां जिला बारां ।
   1/6. राममूर्ति पुत्री मृतक बृजमोहन पुत्र स्व0 घनश्याम निवासी ग्राम धाकडखेडी ।
   1/7. रोहित नाबालिग पुत्र स्व0 बृजमोहन ।
   1/8. पूजा नाबालिग पुत्री स्व0 बृजमोहन ।
   1/9. प्रियंका नाबालिग पुत्री स्व0 बृजमोहन ।

1/10 नीलम नाबालिग पुत्री स्व0 बृजमोहन जरिये वली माता कमलेश बेवा बृजमोहन निवासी ग्राम सुतावण तहसील व जिला बारां ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 12/604

1. श्रीमती देवबाई पुत्र स्व0 श्री भूरिया पत्नी श्री बजरंगलाल जाति काछी निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा ।
2. श्रीमती गजानन्दी बाई पुत्री स्व0 श्री भूमिया पत्नी स्व0 श्री पन्नालाल जाति काछी निवासी नयागॉव पुलिस लाईन तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. प्रहलाद आत्मज श्री रामनाथ काछी ।
   2/2. राजेन्द्र आत्मज श्री रामनाथ काछी ।
   2/3. बसन्ती बाई पुत्री श्री रामनाथ काछी ।
   2/4. राधा बाई पुत्री श्री रामनाथ काछी ।
   2/5. गणेशी बाई पत्नी श्री रामनाथ काछी ।
   2/6. धन्नी बाई पत्नी श्री महावीर ।
   2/7. आंचल नाबालिग जरिये संरक्षक माता धन्नी बाई ।
   2/8. शिवानी नाबालिग जरिये संरक्षक माता धन्नी बाई ।
   2/9. लालाराम आत्मज श्री देवीलाल काछी ।
   2/10. सरोज पुत्री श्री देवीलाल काछी ।
   2/11. इन्द्रा पुत्री श्री देवी लाल काछी ।
   2/12 लाली बाई पुत्री श्री देवीलाल काछी ।
   2/13. भूली बाई बेवा श्री देवीलाल काछी ।
   2/14. मोहनी बाई पुत्री श्री पन्ना लाल काछी निवासीगण नयागॉव पुलिस लाईन कोटा
3. रामलाल पुत्र श्रीमती अमरी बाई पुत्री श्री भूरिया जाति काछी निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम (मृतक) आत्मज कजोडी लाल काछी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कंचन बाई विधवा स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/2. चेतन राम पु स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/3. लालचन्द पुत्र स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/4. भोजराज पुत्र स्व0 श्री घनश्याम ।
   1/5. श्रीमती कमलेश उर्फ गुटटूबाई पत्नी मृतक बृजमोहन पुत्र स्व0 श्री घनश्याम निवासीगण [illegible]
   1/6. राममूर्ति पुत्री मृतक बृजमोहन पुत्र स्व0 घनश्याम [illegible]

1/7. रोहित नाबालिग पुत्र स्व0 बृजमोहन ।
1/8. पूजा नाबालिग पुत्री स्व0 बृजमोहन ।
1/9. प्रियंका नाबालिग पुत्री स्व0 बृजमोहन ।
1/10 नीलम नाबालिग पुत्री स्व0 बृजमोहन जरिये वली माता कमलेश बेवा बृजमोहन निवासी ग्राम सुतावण तहसील व जिला बारां ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में।
2. श्री राजेन्द्र भार्गव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 26.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिया अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा में तत्समय खसरा नम्बर 415/5062 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वसा, खसरा नम्बर 499/107–108 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 502/111 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा कुल 03 किता की 09 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में तत्समय भूरिया का तन्हा खतोदारी में दर्ज है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 128 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.37 हैक्टर व खसरा नम्बर 581 रकबा 0.04 हैक्टर कुल 06 किता की 1.14 हैक्टर कायम किये गये । भूरिया जी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि भूरिया जी की तीनों पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं कर प्रतिवादी के पिता कजोड के नाम दर्ज कर दी । जबकि भूरिया की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनकी तीनों पुत्रियों के नाम खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी । प्रतिवादी कम 1 कजोड न तो भूरिया का पुत्र है और न ही भूरिया का उत्तराधिकारी है । कजोड की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी। प्रतिवादी राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे

कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थिया के पक्ष में है ।

4. अतः प्रार्थिया के पक्ष में व अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जावे कि अप्रार्थी कम 1 वादग्रस्त आराजी किसी भी प्रकार से रहन, बेचान एवं हस्तान्तरित नहीं करे और न ही खुर्द–बुर्द करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी कम 1 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

5. इसी प्रकार प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने का पेश किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.09.2012 को दो पृथक आदेश जारी कर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने एवं रिसीवर नियुक्त करने का दोनों खारिज कर दिये।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2012 से व्यथित होकर प्रार्थिया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दो अपीलें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है । प्रार्थिया अपीलान्ट मूल खातेदार मृतक भूरिया की जायन्दा वारिस होना प्रमाणित है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया अपीलान्ट का हित–निहित है । रेस्पोडेन्ट राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है । अप्रार्थी कम 1 उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है । वादग्रस्त आराजी का स्वरूप नहीं बदले इसलिए वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । अतः दोनों अपीलें अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. दोनों अपीलों में अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने के लिए नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2012 को पेश किया जिसके बाद दिनांक 10.10.2012 को नकल मिली । प्रार्थीगण के घर में श्रीमती गजानन्दी बाई की मृत्यु हो जाने से समय पर अपील पेश नहीं कर पाएं । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि भूरिया की मृत्यु के बाद तत्कालीन कोटा सरकूलर नम्बर 03 और पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार वारिसान की जॉच किये बिना रेस्पोडेन्ट के दादा कजोड आत्मज नारायण के नाम इंतकाल दर्ज किया गया है । कजोड परमिसिव पजेशन में रहै । अपीलान्ट के द्वारा भूमि का कब्जा मांगने पर रेस्पोडेन्ट के पिता घनश्याम के द्वारा कब्जा देने से इंकार किया गया और आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी थी । इस कारण प्रार्थिया अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं बेदखली का दावा पेश किया और उसके साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु और दूसरा प्रार्थना पत्र रिसीवर नियुक्त करने के लिए पेश किया गया । वादग्रस्त आराजी को यदि रेस्पोडेन्ट खुर्द–बुर्द कर देंगे तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । केवल कब्जे को आधार मानकर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में नहीं माना है । प्रार्थिया के द्वारा रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी में अकृषि कार्य करने पर आमादा हैं और आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है । कोटा सरकूलर के बिन्दु संख्या 46 के अनुसार आईटम नं0 04 पर बेटी का नाम अंकित है और पोती जो शामिल में रहती है उसका 11 नम्बर पर है । बेटी का शामिल में रहना आवश्यक नहीं है । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरएलआर 1988 (1) पेज 850 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी भूरिया के खाते में दर्ज थी और जब भूरिया की मृत्यु हुई थी उस समय तीनों लडकियॉ सुसराल में रहती थी इस कारण नामान्तरकरण पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार कजोड के पक्ष में खोला गया था । यह इंतकाल सन् 1949 में खोला गया है । उस समय पुरानी हिन्दू विधि एवं कोटा सरकूलर प्रभाव में था । आराजी सवंत् 2016–24 की जमाबन्दी के अनुसार कजोड के खाते में दर्ज हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट बहैसियत मालिक काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट वादीगण का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं है और न ही उनका कब्जा है और आराजी 60–70 वर्षों से रेस्पोडेन्टगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न इंतकाल संख्या 524 की फोटो प्रति के अनुसार भूरिया की मृत्यु हो जाने पर उनकी तीनों लडकियों का ससुराल में रहना बताया गया है और सन् 1949 में नामान्तरकरण कजोड के पक्ष में तस्दीक किया गया है । विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट ने कोटा सरकूलर के बिन्दु संख्या 46 का उल्लेख करते हुए यह कथन किया है कि बेटी का शामिल में रहना आवश्यक नहीं है सिर्फ पोती का शामिल में रहना आवश्यक है । *हम विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस मत से सहमत नहीं हैं । कोटा सरकूलर* में बिन्दु संख्या 46 के आईटम नम्बर 04 में बेटी, पोती जो शामिल में रहते हों को अंकित किया गया है । इसका आशय यही निकलता है कि बेटी व पोती जो शामिल में रहती है को क्रम संख्या 4 पर उत्तराधिकार प्राप्त होगा ।

13. तद्नुसार अपीलान्टगण का सन् 1949 में ससुराल में रहना दर्शाया गया है, जिसके आधार पर पुरानी हिन्दू विधि एवं कोटा सरकूलर के अनुसार प्रथमदृष्टया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर खातेदार घोषित होने की अधिकारी प्रतीत नहीं होती है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते एवं कब्जे में है । ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है ।

14. यद्यपि पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होना अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का खारिज किया है । जहॉ तक वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने का प्रश्न है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । रिसीवर नियुक्त किया जाना कठोरतम व्याधि होती है और काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 12/604 एवं 12/604 दोनों खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 प्रकरण 203/09 व निर्णय दिनांक 28.09.2012 एवं प्रकरण संख्या 85/11 निर्णय दिनांक 28.09.2012 बहाल रखे जाते हैं ।

16. निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा